रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अगस्त 25—अगस्त 31, 2019, शनिवार/भाद्र 3—भाद्र 9, 1941
No. 35] NEW DELHI, AUGUST 25—AUGUST 31, 2019, SATURDAY/BHADRA 3— BHADRA 9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(अंतर्राज्य परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 267.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्राज्य परिषद सचिवालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I) समूह 'ग' अराजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर – समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स या ग्रेड वेतन में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे, जो इन नियमों से संलग्न पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) तक विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—ऐसा वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है या विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए आधार है और ऐसा करना उसके लिए अन्य आधार है तो किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन से छूट दी जा सकती है।

6. छूट देने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार का यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा, लिखित रूप में कारण लेखबद्ध करके इन किसी भी ऐसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के उपबंधों में से किसी से छूट प्रदान कर सकती है।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों में निहित किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	01* (2019) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनतुसचिवीय.	स्तर 2 (19900-63200/- रुपये)	लागू नहीं होता	18 - 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक छूट दी जा सकती है)। **टिप्पणी 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम	**आवश्यक :** (i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; (ii) मोटर यान की यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी के पास यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने का सामर्थ्य होना चाहिए); (iii) मोटर कार चालन का कम-से-कम तीन वर्ष

					तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ-राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पणी 2 :** यदि 'सीधी भर्ती' सीधी खुली प्रतिस्पर्द्धा परीक्षा के माध्यम से की जाती है तो आयु-सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।	का अनुभव; और (iv) दसवां स्तर उत्तीर्ण। **वांछनीय:** होम गार्ड अथवा सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो। **टिप्पण 1:** अनुभव से संबंधित अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती और पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए या प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति/आमेलनः** अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स का स्तर 1 (18000-56900/- रु.) में ऐसे नियमित डिस्पैच राइडर (समूह-'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो मोटर कार चालन की सक्षमता निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटरकार के चालन की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो, जिसके न हो सकने पर ऐसे पदधारियों में से जो नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण करते हों या केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स का स्तर 1 (18000-56900/- रु.) में से नियमित आधार पर समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो स्तंभ 7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं रखते हों। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए

			प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण :** भूतपूर्व सैनिक के मामले में भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पद में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 भी आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), अंतर्राज्य परिषद सचिवालय -अध्यक्ष 2. उप सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय -सदस्य 3. अवर सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशासन), अंतर्राज्य परिषद सचिवालय -सदस्य 5. चालन कौशल की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड II	01* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय।	स्तर 4 (25500 - 81100/- रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन स्तर-2 (19900 - 63200 रुपये) में ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्षों की नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अवधि अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधी अवधि या दो वर्षों जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), अंतर्राज्य परिषद सचिवालय -अध्यक्ष 2. उप सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय -सदस्य 3. अवर सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशासन), अंतर्राज्य परिषद सचिवालय -सदस्य 5. चालन कौशल की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड I)	02* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर 5 (29200-92300/- रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन का स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II और स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) में

			पंद्रह वर्षों की सम्मिलित सेवा के साथ सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अवधि अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधी अवधि या दो वर्षों जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), अंतर्राज्य परिषद सचिवालय -अध्यक्ष 2. उप सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय -सदस्य 3. अवर सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशासन), अंतर्राज्य परिषद सचिवालय -सदस्य 5. चालन कौशल की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12011/4/2018- अ.रा. प. (ए)]

काशी नाथ, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT)

New Delhi, the 28th August, 2019

G.S.R.267.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Inter-State Council Secretariat, (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1994, except as resects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Staff Car Driver (Ordinary grade), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Grade I) in the Inter-State Council Secretariat under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Inter-State Council Secretariat, (Staff Car Driver- Group 'C' Non-gazetted posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.—**The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by

order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in he pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Staff Car Driver (ordinary grade).	01* (2019) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200/-).	Not applicable.	18 – 25 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2:** If the 'direct recruitment' is to be made by direct open competitive examination, the age-limit would be 18-27 years.	**Essential:** (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years.; and (iv) Pass in 10th standard **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educationalqualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruits or re- employed	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel : Deputation or re –employment.	**Deputation/Absorption:** From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' Employees in level 1 (Rs.18000-56900/-) of the pay matrix in the Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level-1 (Rs.18000-56900/-) of the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column 7. **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued onre-employment. **Note:** In case of Ex-Servicemen, the Ex-Servicemen (re-employment in Central Civil Services and post Rules, 1979) shall also apply mutatis mutandis. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/ absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Inter-State Council Secretariat - Chairman; 2. Deputy Secretary, Inter-State Council Secretariat - Member; 3. Under Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Under Secretary (Administration), Inter-State Council Secretariat - Member; 5. Technical Expert for examining driving skills - Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Staff Car Driver Grade II	01* (2019) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500-81100/-)	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not Applicable	By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level-2 (Rs.19900-63200/-) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Inter-State Council Secretariat - Chairman; 2. Deputy Secretary, Inter-State Council Secretariat - Member; 3. Under Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Under Secretary (Administration), Inter-State Council Secretariat - Member; 5. Technical Expert for examining driving skills - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Staff Car Driver (Grade I)	02* (2019) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (Rs. 29200-92300/-)	Non- Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not Applicable.	By promotion.	**Promotion :** Staff Car Driver (Grade- II) in Level-4 (Rs.25500-81100/-) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director or Deputy Secretary (Administration), Inter-State Council Secretariat - Chairman; 2. Deputy Secretary, Inter-State Council Secretariat - Member; 3. Under Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Under Secretary (Administration), Inter-State Council Secretariat - Member; 5. Technical Expert for examining driving skills - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12011/4/2018-ISC(A)]

KASHI NATH, Dy. Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2019

सा.का.नि.268.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली, (समूह 'ग' व 'घ' पद), भर्ती नियम, 1989, जहाँ तक उसका संबंध कनिष्ठ लेखाकार के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली, कनिष्ठ लेखाकार (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान .— उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ लेखाकार	01* एक (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है		साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100) में स्तर -4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)
1. वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु) में स्तर-2 में से ऐसे अवर श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा की हो और सरकारी लेखा एवं लेखांकन संबंधी कार्रवाई का ज्ञान रखते हों।   2. केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति :   (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं, या   (ii) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु) के पद पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, और   (ख) जिसे स्थापन, भंडार क्रय लेखा और बजट कार्य और रोकड़ कार्य तथा कार्यालय चर्या से संबन्धित नियमों और विनियमों का पूर्ण ज्ञान है।   **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु विचार के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, - सदस्य 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राजपत्रित अधिकारी - सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि हेतु विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, - सदस्य 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. ए.12018/10/2015-एमएच-II]

एम.के. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd August, 2019

G.S.R.268.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi, (Group 'C' and 'D' posts), Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Junior Accountant, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Accountant,in the Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi, namely:—.

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi, Junior Accountant(Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.

   (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.—** The number of the said post, its classification and the level in pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualification, etc.—**The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .—** No person, —

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post.

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Accountant	1* (One) (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level-4 in pay matrix. (Rs.25500-81100)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation /absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	Promotion failing which, by deputation.	1. Promotion from Lower Division Clerk in Level-2 in pay matrix (Rs.19900-63200/- with eight years service having knowledge of Government accounts and accounting proceedings. 2. Deputation from officers of Central Government :- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years of regular service in post in Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) and (b) possessing thorough knowledge of rules and regulations relating to Establishment, purchase of store, accounting and budgeting and cases work and office routine. **Note :** The period of Deputation shall ordinarily not exceed three years.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
I. **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—** 1.Director, Rural Health Training Centre -- Chairman; 2.Administration Officer, Rural Health Training Centre, Najafgarh -- Member; 3.Gazetted Officer in the Department of Health and Family Welfare -- Member; **II. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Director, Rural Health Training Centre -- Chairman; 2. Administration Officer, Rural Health Training Centre, Najafgarh -- Member; 3. Gazetted Officer in the Department of Health and Family Welfare -- Member .	Not applicable.

[F. No.A.12018/10/2015-MH-II]

M.K. SINGH,Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 269.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध सहायक श्रम पर्यवेक्षक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक श्रम पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, सहायक श्रम पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2019 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण,वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**— वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक श्रम पर्यवेक्षक	1 (एक)* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों

					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:-** रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं/प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से श्रम संबंधी कार्य के पर्यवेक्षण से जुड़े किसी कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	अर्हता : हाँ आयु : नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: समूह 'ग' कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपये) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ रखते हैं।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:-** (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल– अध्यक्ष (ii) उप निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल – सदस्य (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक – सदस्य **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें शामिल होंगे:-** (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल – अध्यक्ष (ii) उप निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल – सदस्य (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/10/2016-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd August, 2019

G.S.R.269.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981,in so far as it relates to the post of Assistant Labour Supervisor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Labour Supervisor, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Assistant Labour Supervisor (Group- 'C' Post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Labour Supervisor	1 (One)* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' , Non Gazetted, Non Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Non selection	Between 18 to 25 years (Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto forty – five years in case of candidates belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time). **Note 1** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya ,Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu Kashmir State , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub – Division of Chamba District of Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i)12th pass from a recognised Board ; and (ii) Two years experience	Qualification :Yes Age: No	Two years for direct recruitment	By promotion failing which by direct recruitment

in any work connected with the Labour handling supervision from recognised board or institution. **Note:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates and the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, if any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: From Group 'C' employees having three years regular service in the level-1 in the pay-matrix (18000-56900) and possessing the qualifications prescribed for direct recruitment.	**Group-'C'Departmental Confirmation Committee: (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Additional Medical Superintendent , Kalawati Saran Children's Hospital -Chairperson; (ii) Deputy Director, Kalawati Saran Children's Hospital -Member; (iii) Deputy Director looking after the work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services -Member. **Group- 'C' Departmental Promotion Committee : (for considering promotion) consisting of :-** (i)Additional Medical Superintendent , Kalawati Saran Children's Hospital -Chairperson; (ii) Deputy Director, Kalawati Saran Children's Hospital -Member; (iii) Deputy Director looking after the work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/10/2016-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

सा.का.नि.270.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती नियम, 1960 को, जहां तक उनका संबंध पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'ख' राजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्वति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	01* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-8 (47600-151100 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय, संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी :- (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में (44900-142400 रू.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो :- **आवश्यक :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री । (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय में स्थापना, सतर्कता, लेखाकार्य और न्यायालय मामलों में तीन वर्ष का अनुभव ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	रिक्त पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए. 12018/11/2015-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd August, 2019

G.S.R.270.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli' Administrative Officer, Recruitment Rules,1960, in so far as they relate to the post except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer, Group 'B', Gazetted, in the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health & Family Welfare namely:-

1. Short Title and Commencement.— (1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Administrative Officer, Group 'B', Gazetted, Ministerial post, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, and Level in the Pay Matrix.—The number of post, its classification, and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualification.—**No persons,**-**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-Selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrative Officer	1* (2019) (* Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group ‘B’, Gazetted, Ministerial	LEVEL -8 (Rs. 47600-151100)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation (including short-term contract)	**Deputation (including short-term contract)** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous Body or Statutory Body organizations or Universities or Recognised Research Institutes :- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

	Or (ii) with 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level -7(Rs.44900-142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; And (b) possessing the following educational qualification and experience :– Essential : (i) Degree of a recognised University or Institute. (ii) three years experience in Establishment, Vigilance, Accounts work and Court matters in a Government Office or Public Sector Undertakings or Autonomous Body or Statutory Body.		

[F. No. A.12018/11/2015-EPI]
G. K. PILLAI, Under Secy.

(केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 271.—राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, परा-चिकित्सा और साधारण श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को, जहां तक उनका संबंध दंत तकनीशियन के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में दंत तकनीशियन के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दंत तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. दंत तकनिशियन	19* (2019) (1) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अहमदाबाद- 1 (2) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद - 1 (3) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलौर - 1 (4) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर - 1 (5) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर - 1 (6) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ - 1 (7) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई – 2 (8) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर - 1 (9) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली - 8 (10) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना - 1 (11) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे - 1 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
25 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पण 1**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति	**अनिवार्य:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय (भौतिक, रसायन, गणित या जीवविज्ञान) में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डेंटल हाइजिन या दंत तकनीशियन में डिप्लोमा; और (iii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल से दंत तकनीशिकयन के रूप में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताए	लागू नहीं होता	दो वर्ष

जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2**: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के की स्थिति में किस ग्रेड से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** पदधारियों की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी - (क) जिन्होने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** 1. अपर उप महानिदेशक (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना (अराजपत्रित) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए -12018/11 /2018-सीजीएचएस-I]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

(CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME DIVISION)

New Delhi, the 26th August, 2019

G.S.R. 271.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Paramedical and general categories (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the Dental Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dental Technician in the Central Government Health Scheme, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme, Dental Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix .—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. .— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification .— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dental Technician	19* (2019) (1) Central Government Health Scheme, Ahmedabad-1 (2) Central Government Health Scheme, Allahabad-1 (3) Central Government Health Scheme, Bangalore -1 (4) Central Government Health Scheme, Jaipur -1 (5) Central Government Health Scheme, Kanpur -1 (6) Central Government Health Scheme, Lucknow -1 (7) Central Government Health Scheme, Mumbai-2 (8) Central Government Health Scheme, Nagpur-1	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Not applicable	Not exceeding twenty-five years. (Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing dates for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim,

	(9) Central Government Health Scheme, Delhi-8 (10) Central Government Health Scheme, Patna-1 (11) Central Government Health Scheme, Pune -1 *Subject to variation dependent on workload.				Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) 12th Class pass with Science Subject (Physics, Chemistry, Math or Biology) from a recognised Board; (ii) Diploma in Dental Hygiene or Dental Technician from a recognised institute; and (iii) Two years' experience as Dental Technician in a recognised Hospital. **Note 1** : The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note** : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption deputation grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment rules
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) Additional Deputy Director General (Head Quarter), Central Government Health Scheme - Chairperson; (2) Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Services - Member; (3) Chief Medical Officer, Central Government Health Scheme - Member; (4) Administrative Officer, Establishment (Non-Gazetted) Central Government Health Scheme - Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/11/2018-CGHS-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 272.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वेक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई, में उपापन अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वेक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई, उपापन अधिकारी(समूह 'ख'पद)भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपापन अधिकारी	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	मिश्रित पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित और प्रोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी निकायों, के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ;या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रू.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो या वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो; (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामग्री प्रबंधन में, वाणिज्य में स्नातकोतर या व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोतर और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी निकायों से विक्रय, पूर्ति, उपापन और भण्डार प्रबंधन में 2 वर्ष का अनुभव । **टिप्पण** 1: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रू.) में से ऐसे विभागीय अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हो, पर बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा । यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भर दिया गया समझा जाएगा । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए. 12018/08/2017-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई,अवर सचिव

New Delhi, the 26th August, 2019

G.S.R. 272.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Procurement Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely: -

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Procurement Officer (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.—**The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Procurement Officer	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Gazette, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix(Rs. 47600-151100)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Composite Method [Deputation Including Short Term Contract (ISTC) plus Promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short Term Contract). Officers under the Central Government or State Government or Union Territories Administration or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research Institutes or Autonomous or Statuary Bodies. (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in the level-7 (Rs. 44900-142400) in pay matrix or Six years service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in the level-6 (Rs. 35400-112400) in pay matrix or equivalent; and (B) Possessing the following educational qualification and experience; (i) Master Degree in Commerce or Master of Business Administration, in material management from a recognised University and two years experience in sales, supply, procurement, store management from Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or University or Research Institutes or Autonomous or Statutory Bodies. **Note 1**: Departmental Store Officer in level-6 (Rs. 35400-112400) in pay matrix with Six years of regular service in the grade and having the education qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment under these rules in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years from the date of receipt applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/08/2017-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

सा.का.नि.273.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली पंचकर्मा सहायक भर्ती नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में पंचकर्मा उपचार विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पंचकर्मा उपचार विज्ञानी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. पंचकर्मा उपचार विज्ञानी	5* (2019) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25,500-81100 रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के	**अनिवार्य:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) पंचकर्मा उपचार में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।	**आयु :** कोई नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हां	दो वर्ष

अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पण 1**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2**: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**वांछनीय:** पंचकर्मा उपचार या तकनीकी में किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्था से दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखन वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में किस ग्रेड से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
50 %सीधी भर्ती द्वारा। 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति** : पंचकर्मा में डिप्लोमा प्रमाणपत्र रखने वाले मेडिकल परिचर जिनकी उस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) अपर निदेशक (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - अध्यक्ष (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय) , केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य; (3) उप सचिव (प्रशासन) या अवर सचिव (प्रशासन), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना -सदस्य ; (4) प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), दिल्ली - सदस्य	लागू नहीं होता।

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (1) अपर निदेशक (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - अध्यक्ष (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय) , केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य; (3) उप सचिव (प्रशासन) या अवर सचिव (प्रशासन), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य; (4) प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), दिल्ली - सदस्य	

[फा. सं. ए -12018/03 /2017-सीजीएचएस-I]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 26th August, 2019

G.S.R.273.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme, Delhi Panchkarma Assistants Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Panchkarma Therapist in the Central Government Health Scheme, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme, Panchkarma Therapist (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix**.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panchkarma Therapist.	05*(2019) Central Government Health Scheme, Delhi. *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81100)	Selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:-** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep . **Note 2:** In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit shall, in each, case be the last date up to which the employment exchange are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation or by absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) 12th Pass from a recognised Board/University (ii) Diploma in Panchkarma treatment from a recognised Board or University.	Age : No Educational Qualification: Yes	Two years.	Fifty per cent by direct recruitment. Fifty per cent by promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** Medical Attendant (Multi-Tasking Staff) having diploma certificate in Panchkarma with eight years

Desirable: Two Years' experience in Panchkarma treatment or technique from a recognised Hospital or Institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at discretion of the competent authority in the case candidates belonging to the Schedule Caste and the Scheduled Tribe, if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.				regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Additional Director (Head Quarter) Central Government Health Scheme - Chairman; (2) Chief Medical Officer (Head Quarter) Central Government Health Scheme - Member; (3) Deputy Secretary(Administration) or Under Secretary (Administration), Central Government Health Scheme - Member; (4) Administrative officer, Central Government Health Scheme (Head Quarter), Delhi - Member. **Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of** : (1) Additional Director (Head Quarter) Central Government Health Scheme - Chairman; (2) Chief Medical Officer (Head Quarter) Central Government Health Scheme - Member; (3) Deputy Secretary(Administration) or Under Secretary (Administration), Central Government Health Scheme - Member; (4) Administrative officer, Central Government Health Scheme (Head Quarter), Delhi - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/03/2017-CGHS-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

सा.का.नि.274.—राष्ट्रपति संविधान के अनुक्षछेद 309 के परंतुक द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और निदेशक (राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन) भर्ती नियमावली 2002 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, विज्ञान और प्रौगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (निदेशक) भर्ती नियम, 2019 है।

   2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति–

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नि जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवत रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–14 (144200–218200 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
50 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्याथियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा–जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्याथियों के लिए विहित की गई हैं।)	**आवश्यकः** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल में मास्टर डिग्री सहित भूगोल में डाक्टरेट। (ii) क्षमता अवस्थिति की कार्यकारणी में भूगोल या भू-विज्ञान या भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य या अनुसंधान का 15 वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** (i) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक सोसाइटी या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय मानचित्र संगम या इसी प्रकार के संगठन या संगमों की सदस्यता। (ii) मानचित्रकारी एवं सहबद्ध शाखाओं पर अधिमान्यतः अनुसंधान के प्रकाशन और आंकलन पुनर्विलोकित जर्नलों में प्रकाशनों द्वारा साक्षयित हो। **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में संध लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सराकर या संघ

सहित) जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (131100–216600 रु.) के स्तर 13 क या समतुल्य में नियमित आधार पर पद की नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्य (123100–215900 रू.) के स्तर 13 या समतुल्य नियमित आधार पर पद की नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो;और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो । **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समितिः 1. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष 2. अन्य वैज्ञनिक विभागों से दो सदस्य (भारत सरकार का अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो) जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. एस एम/01/20/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 30th April, 2019

G.S.R. 274.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Director (National Atlas and Thematic Mapping Organisation), Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Director) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director.	1* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service; Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 50 years. **Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)	**Essential:** (i) Doctorate in Geography with Master's Degree in Geography from a recognised university or institute. (ii) 15 years working or Research Experience in the field of Geography or Geology or Geo-spatial Technologies in executive or faculty position. Desirable: (i) Membership of National and International Geographical Societies or Indian National Science Congress or Indian National Cartographic Association or similar type of organisations or associations. (ii) Research publication preferably on Cartography and allied disciplines as evidenced by publication in peer-reviewed journals. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission,	Not applicable	One year for direct recruits.

	for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	Deputation (including short term contract): Officers of Central or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 58 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental confirmation Committee: 1. Secretary, Department of Science and Technology – Chairman; 2. Two members from other scientific Departments (not below the rank of additional secretary to the Government of India) to be nominated by Secretary, Department of Science and Technology – Members.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion.

[F. No. SM/01/20/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

सा.का.नि.275.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में संयुक्त निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2019 है।

   2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संयुक्त निदेशक	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अनुनसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12 (78800–209200 रु.)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतगर्त अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसे उप निदेशक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रबंधन या प्रशासन का तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐ कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल या भूविज्ञान में डॉक्टरेट। (ii) भूगोल या भूविज्ञान या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यकारी या संकाय की हैसियत में दस वर्षों का कार्य करने या अनुसंधान का अनुभव। **वांछनीय:** थिमैटिक मानचित्रों के तैयार करने की आधुनिक तकनीकों का ज्ञान और मानचित्र सर्वर को संभालने में वेब मानचित्रण प्रौद्योगिकी का उद्भासन या अनुभव। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; (ii) निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; (iii) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; (iiii) संबंधित निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य।	प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं.एस एम/01/10/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 10th May, 2019

G.S.R.275.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Joint Director) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Joint Director) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Joint Director.	2* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service: Group 'A', Non-Ministerial, Gazetted.	Level-12 (`78800-209200).	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director in level-11 in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed three weeks management or administrative training from any recognised institution. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or recognized university or institute or research institution: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in post in Level-11 in the pay matrix or	**Group 'A' Promotion Committee consisting of:** (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman (ii) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member (iii) Joint Secretary, Department of Science and Technology - Member (iv) Director concerned, Department of Science and Technology. - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: **Essential:** (i) Doctorate in Geography or Geology from a recognised university. (ii) Ten years working or research experience in the field of Geography or Geology or Geo-Spatial Technologies in executive or faculty position. **Desirable:** Knowledge of modern techniques of preparing thematic maps and exposure to web mapping technology or experience in handling map server. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. SM/01/10/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2019

सा.का.नि.276.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन(ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम**,** 1990 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 है।

 2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अननसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–10 (56100–177500 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के लिए 2 वर्ष

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति **या** प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति **या** प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतगर्त अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति।	संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सहित है) / प्रोन्नति): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविघालय या संस्थान या शोध संस्था के अधिकारी। (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है: या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो: या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रु.)

	या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री: (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन में लेखा, प्रशासन, स्थापन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** ऐसे विभागीय प्रशासनिक अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो, के संबंध में बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल है: 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्रण संगठन – अध्यक्ष 2. संबंधित संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य 3. संबंधित निदेशक/उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. एस एम/01/18/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th July, 2019

G.S.R.276 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix or pay scale.—**The number of said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Administrative Officer	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 Years for promotees	By composite method (deputation (Including Short-term Contract) plus promotion).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted
(11)	(12)	(13)
By composite method (deputation (Including Short-Term Contract) plus promotion): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or institute or research institution: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department;	**Group 'A' Promotion Committee consisting of:** (i) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman (ii) Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member (iii) Director/Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology. - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

or (iii) with three years' service rendered after appointment to the post on the regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; (ii) three years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory organisation. **Note 1:** The Departmental Administrative Officers in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years regular service in that grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on Deputation basis is considered along with outsiders. If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** Period of Deputation (Including Short Term Contract) including period of Deputation (Including Short Term Contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by Deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. SM/01/18/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.09.06 10:41:17 +05'30'